कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश,

सतपुड़ा भवन ,भू–तल भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/1293 भोपाल : दिनांक 29/8/02

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

समस्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान,म.प्र.

विषय :– विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा बीट निरीक्षण ।

दिनांक 19–7–2002 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) की उपस्थिति में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे बीट निरीक्षण की समीक्षा की गई । क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न अधिकारियों को आवंटित लक्ष्य के अनुसार बीट निरीक्षण नहीं किया जा रहा है । बैठक में बीट निरीक्षण के कार्य को गंभीरतापूर्वक एवं अर्थपूर्ण तरीके से करने की आवश्यकता पर बल दिया गया एवं यह भी निर्देश दिये गये कि इस विषय में किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । अतः बैठक के परिपेक्ष्य में विषयांकित विषय में नीचे अनुसार निर्देश दिये जाते है :–

(1) बीट निरीक्षण के संबध में इस कार्यालय के ज्ञापन कमाक 4040 दिनांक 6-12-95 अनुसार सभी वृत्तों में रोस्टर तैयार किया जावे एवं संबंधित वन संरक्षक रोस्टर का परीक्षण कर यह देखें कि यह रोस्टर उपरोक्त ज्ञापन के अनुरूप बनाया गया है एवं इसकी एक प्रति मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में भेजें । इस वर्ष तैयार किये गये रोस्टर की एक प्रति तत्काल मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के कार्यालय में भेजने की व्यवस्था करें । अगले वर्ष के लिये संबंधित वन संरक्षक नवम्बर माह तक रोस्टर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें।

(2) प्रत्येक बीट निरीक्षण के पश्चात निरीक्षणकर्ता अधिकारी एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें बीट निरीक्षण में पाई गई स्थिति का लेख किया जायेगा । बीट (निरीक्षण) प्रतिवेदन प्रपत्र संलग्न है । यह प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी कार्यालय में संधारित किये जायेगें इस प्रतिवेदन के अभाव में बीट निरीक्षण

मान्य नहीं किया जावेगा । यदि निरीक्षण में कोई हानि ना भी पाई
भी यह प्रतिवेदन तैयार कर अभिलेख में रखा जावेगा ।

(3) निरीक्षण टीप का परीक्षण बीट निरीक्षण कर्ता अधिकारी के एक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा परीक्षण पश्चात् वनमण्डलाधिकारी के कार्यालय में कम से कम तीन वर्ष के लिये सुर जावेगी ।

(4) यदि संबंधित बीट निरीक्षण कर्ता अधिकारी द्वारा बीट निरीक्षण का अनुसार नहीं किये जाते हैं तो इस संबंध में वन संरक्षक/वनमण्डल संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करे

(5) वन संरक्षक द्वारा बीट निरीक्षण की स्थिति एवं परिणामों की र क्ष माह की जावेगी । प्रत्येक 6 माह में वन संरक्षक अपने वृत्त में किये जा निरीक्षण एवं बीट निरीक्षण के परिणामों तथा बीट निरीक्षण के फलस्व जाने वाली कार्यवाही का विवरण अपने स्तर से समीक्षा के बाद मु संरक्षक(संरक्षण) म.प्र. भोपाल को प्रेषित करेगें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

संलग्नः—प्रपत्र

(व.सं.)
मुख्य वन संरक्षक(संरक्ष
मध्यप्रदेश

बीट निरीक्षण प्रतिवेदन

ट का म	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद	बीट निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण पूरा अथवा आंशिक	यदि आंशिक है तो निरीक्षण किये गये कक्ष नंबर
	2	3	4	5

निरीक्षण में पाई गई नुकसानी का विवरण

ाति	ठूँठ संख्या	गोलाई वार	ठूँठ/ मौके/पर पाई गई काष्ट का विवरण	वन रक्षक के कार्य के संबंध में टीप	सामान्य टीप
	7	8	9	10	11